

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थनापत्र प्र0स0 – 106/17

अनवान

- 1 कन्हैयालाल पिता बालुलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा

(प्रार्थी)

बनाम

1. नाथुलाल पिता धन्नालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
2. लक्ष्मीनारायण पिता बिहारीलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
3. शंकरलाल पिता रामचन्द्र ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
4. श्यामलाल पिता रामनारायण ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
5. एस0बी0बी0जे0 शाखा सरदारनगर जरिये मेनेजर एस0बी0बी0जे0 शाखा सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(अप्राथीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 14.09.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 01.08.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार मण्डल कंकोलिया भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 02 के आ0न0 34, 35/1, 47, 48, 50, 160, 324, 329, 330, 331, 351 कुल किता 11 रकबा 10-14 बीघा, स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.08.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 14.09.2017 को विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से हुए स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार मण्डल कंकोलिया भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 02 के आ0न0 34, 35/1, 47, 48, 50, 160, 324, 329, 330, 331, 351 कुल किता 11 रकबा 10-14 बीघा, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बनेड़ा को 1100/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकील बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
बनेड़ा (भीलवाड़ा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी - श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

स्व प्रार्थनापत्र प्र0स0 - 106/17

अनवान

1 कन्हैयालाल पिता बालुलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा _____ (प्रार्थी)

बनाम

1. नाथुलाल पिता धन्नालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
2. लक्ष्मीनारायण पिता बिहारीलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
3. शंकरलाल पिता रामचन्द्र ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
4. श्यामलाल पिता रामनारायण ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
5. एस0बी0बी0जे0 शाखा सरदारनगर जरिये मेनेजर एस0बी0बी0जे0 शाखा सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा _____ (अप्रार्थीगण)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगद्दी कराने के।

दिनांक - 14.09.2017

:: निर्णय ::

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 01.08.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार मण्डल कंकोलिया भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 02 के आ0न0 34, 35/1, 47, 48, 50, 160, 324, 329, 330, 331, 351 कुल किता 11 रकबा 10-14 बीघा, स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगद्दी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगद्दी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.08.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 14.09.2017 को विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पेशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगद्दी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से हुए स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::


प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार मण्डल कंकोलिया भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 02 के आ0न0 34, 35/1, 47, 48, 50, 160, 324, 329, 330, 331, 351 कुल किता 11 रकबा 10-14 बीघा, भूमि की पत्थरगद्दी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बनेड़ा को 1100/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगद्दी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगद्दी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगद्दी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगद्दी की जावे। मुस्तकील बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगद्दी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह आदेश आज दिनांक 14.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
दिनांक: 14.09.2017

क्रमांक/प्रकरण संख्या/ 106/2017

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार, बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो।


(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थनापत्र प्र0स0 – 106/17

अनवान

1 कन्हैयालाल पिता बालुलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा _____ (प्रार्थी)

बनाम

1. नाथुलाल पिता धन्नालाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
2. लक्ष्मीनारायण पिता बिहारीलाल ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
3. शंकरलाल पिता रामचन्द्र ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
4. श्यामलाल पिता रामनारायण ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी संग्रामपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
5. एस0बी0बी0जे0 शाखा सरदारनगर जरिये मेनेजर एस0बी0बी0जे0 शाखा सरदारनगर तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा _____ (अप्रार्थीगण)
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 14.09.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 01.08.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार मण्डल कंकोलिया भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 02 के आ0न0 34, 35/1, 47, 48, 50, 160, 324, 329, 330, 331, 351 कुल किता 11 रकबा 10-14 बीघा, स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.08.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। दिनांक 14.09.2017 को विपक्षीगणों को जारी सम्मन/नोटीस बाद तामील लौटकर प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किये गये, विपक्षीगण सूचना के बावजूद नियत पैशी पर अनुपस्थित रहने से विरुद्ध विपक्षीगण एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से हुए स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम संग्रामपुरा पटवार मण्डल कंकोलिया भू0अ0नि0 बनेड़ा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 02 के आ0न0 34, 35/1, 47, 48, 50, 160, 324, 329, 330, 331, 351 कुल किता 11 रकबा 10-14 बीघा, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बनेड़ा को 1100/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकील बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 14.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा
दिनांक: 14.09.2017

क्रमांक/प्रकरण संख्या/ 106/2017

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार, बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

१२